रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 1974/भाद्र 22, 1896

No. 223] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 1974/BHADRA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat ... Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th September 1974

SUBJECT.—*Export Visa and Certification system of Indian Cotton mill-made and handloom textile products and India items to the U.S.A.*

No. 32-ETC(PN)/74.—In terms of the Agreement between the Government of India and the USA, it has been decided that all items of mill-made and handloom cotton textiles, made-up articles and readymade garments including 'India Items', will be required to obtained a Visa for export to the USA on and after 1st October, 1974. The Visa will be in the form of an endorsement which will be made on the Special Customs Invoice Form 5515, Successor document, or Commercial Invoice when such form is used.

2. The Visa issuing authorities will be the Cotton Textiles Export Promotion Council or its upcountry representatives for mill-made cotton textiles, made-up articles and garments; the Textiles Committee for handloom fabrics, handloom products including readymade garments and All India Handicrafts Board and/or Textiles Committee for 'India Items'.

3. In the case of items exempted from the quantitative restrictions like handloom fabrics, handloom made-up articles including readymade garments and 'India Items', in addition to the visa, shippers will also be required to follow the certification procedure which also be in the form of an endorsement on the Special Customs Invoice 5515, Successor document, or Commercial Invoice when such form in used.

4. The issuing authority for the Certificate referred in para 3, will be the Textiles Committee in respect of handloom fabrics, handloom products and readymade garments and the Textiles Committee and/or the All India Handicrafts Board in respect of 'India Items'.

5. Shippers are requested to note that all items of cotton textiles (including the exempted items) exported to the USA on and after 1st October, 1974 and which are not accompanied by an export visa and/or certificate will be denied entry by the USA Government.

6. It is necessary for the shippers to have a separate invoice for items having quantitative restrictions viz. mill-made cotton textiles, made-up articles and readymade garments and likewise a separate invoice for quota free items viz. handloom fabrics, handloom made-up articles, readymade garments and 'India Items'.

7. In order to implement the above Visa and Certification procedure, it has been decided that all exports of mill-made cotton textiles, made-up articles and readymade garments exported to the USA will require an Export Licence, with effect from 15th September, 1974.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1974

विषय—मिल-निर्मित और हस्तकर्घा निर्मित भारतीय सूती वस्त्र उत्पादों और भारत मदों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के लिए विज़ा और प्रमाणीकरण की प्रणाली।

सं० 32—ई० टी० सी० (पी० ए०)/74.—भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हुए समझौते के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि मिल-निर्मित और हस्तकर्घा निर्मित सूती वस्त्रों, निर्मित वस्तुओं और "भारत मदों" सहित तैयार पोशाकों का 1 अक्तूबर, 1974 को या इसके बाद में संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात करने के लिए एक विज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। विज़ा एक पृष्ठांकन के रूप में होगा जो विशेष सीमाशुल्क बीजक प्रपत्र 5515 पर, उत्तरवर्ती दस्तावेज पर, या जब ऐसा प्रपत्र प्रयोग किया जाए तो वाणिज्यिक बीजक पर बनाया जाएगा।

2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या मिल-निर्मित सूती वस्त्रों, निर्मित वस्तुओं और पोशाकों के लिए इसके देहाती प्रतिनिधि: हथकर्घा वस्त्रों, तैयार पोशाकों सहित हस्तकर्घा उत्पादों के लिए वस्त्र समिति और "भारत मदों" के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और/या वस्त्र समिति विज़ा जारी करने वाले प्राधिकारी होंगे।

3. हथकर्घा वस्त्रों, तैयार पोशाकों सहित हथकर्घा निर्मित वस्तुओं और "भारत मदों" जैसी परिमाणात्मक प्रतिबन्धों से छूट-प्राप्त मदों के मामले में विज़ा के अतिरिक्त पोतवणिकों को भी प्रमाणीकरण क्रियाविधि का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी वह भी विशेष सीमाशुल्क बीजक 5515 पर, उत्तरवर्ती दस्तावेज पर, या जब यह प्रपत्र उपयोग किया जाता हो तो वाणिज्यिक बीजक पर एक पृष्ठांकन के रूप में होगी।

4. हथकर्घा वस्त्रों, हथकर्घा उत्पादों और तैयार पोशाकों के सम्बन्ध में पैरा 3 में उल्लिखित प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए वस्त्र समिति प्राधिकारी होगी और 'भारत मदों' के सम्बन्ध में वस्त्र समिति और / या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।

5. पोत वणिकों से यह बात नोट कर लेने के लिए निवेदन किया जाता है कि 1 अक्तूबर, 1974 को या इसके बाद में संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात की गई सूती वस्त्रों (छूट प्राप्त मदों सहित) की सभी मदों, और जिनके साथ निर्यात बिजा और / या प्रमाणपत्र नहीं होंगे संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा उनकी प्रविष्टि करने से मना करदी जाएगी ।

6. पोत वणिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे परिमाणात्मक प्रतिबन्ध रखने वाली मदों अर्थात् मिल-निर्मित सूती वस्त्रों, निर्मित वस्तुओं और तैयार पोशाकों के लिए एक अलग बीजक रखें और इसी प्रकार कोटा स्वतन्त्र मदों अर्थात् हथकर्घा वस्त्रों, हथकर्घा-निर्मित वस्तुओं, तैयार पोशाकों और 'भारत मदों' के लिए अलग ।

7. उपर्युक्त बिजा और प्रमाणीकरण क्रियाविधि को कार्यान्वित करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किए गए मिल-निर्मित सूती वस्त्रों, निर्मित वस्तुओं और तैयार पोशाकों के सभी निर्यातों के लिए 15 सितम्बर, 1974 से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974